¹[Rule 138C: Inspection and verification of goods

(1) A summary report of every inspection of goods in transit shall be recorded online by the proper officer in Part A of FORM GST EWB-03 within twenty four hours of inspection and the final report in Part B of FORM GST EWB-03 shall be recorded within three days of such inspection.

²[Provided that where the circumstances so warrant, the Commissioner, or any other officer authorised by him, may, on sufficient cause being shown, extend the time for recording of the final report in Part B of FORM EWB-03, for a further period not exceeding three days.

Explanation—The period of twenty four hours or, as the case may be, three days shall be counted from the midnight of the date on which the vehicle was intercepted.]

(2) Where the physical verification of goods being transported on any conveyance has been done during transit at one place within the State or Union territory or in any other State or Union territory, no further physical verification of the said conveyance shall be carried out again in the State or Union territory, unless a specific information relating to evasion of tax is made available subsequently.]

Earlier this rules has been amended/inserted by:

¹ Rule 138C substituted by Noti. No. 12/2018–Central Tax, dt. 07-03-2018 except Rule 138(7) provisions have been made effective from 01-04-2018 by Noti. No. 15/2018–Central Tax, dt. 23-03-2018.

^{1.} Noti. No. 27/2017-Central Tax, dt. 30-08-2017.

^{2.} Noti. No. 3/2018-Central Tax, dt. 23-01-2018.

² Proviso along with explanation inserted by Noti. No. 28/2018–Central Tax, dt. 19-06-2018 w.e.f. 19-06-2018.

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर नियम, 2017

1[नियम 138ग : मालों का निरीक्षण और सत्यापन

(1) पारगमन में मालों के प्रत्येक निरीक्षण की एक संक्षिप्त रिपोर्ट समुचित अधिकारी द्वारा निरीक्षण के चौबीस घंटे के भीतर प्ररूप जीएसटी ईडब्ल्यू बी—03 के भाग क में और ऐसे निरीक्षण के तीन दिन के भीतर उसकी अंतिम रिपोर्ट प्ररूप जीएसटी के बी—03 के भाग ख में अभिलिखित की जाएगी।

²[परन्तु जहां परिस्थितियां ऐसा अपेक्षित करें, वहां आयुक्त, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी, दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर, प्ररूप ईडब्ल्यू बी—03 के भाग ख में अंतिम रिपोर्ट अभिलिखित करने के समय को, तीन दिन से अनिधक की अतिरिक्त अविध के लिए बढ़ा सकेगा।

स्पष्टीकरण—यथास्थिति, चौबीस घंटे या तीन दिन की अवधि की संगणना उस तारीख की मध्यरात्रि से की जाएगी. जिसको यान बीच में रोका गया था।

(2) जहां किसी वाहन के परिवहन किए जा रहे मालों का किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के भीतर या किसी अन्य राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में किसी एक स्थान पर पारगमन के दौरान भौतिक सत्यापन किया जाता है वहां उक्त वाहन का उस राज्य संघ राज्यक्षेत्र में तब तक आगे और भौतिक सत्यापन नहीं किया जाएगा जब तक कि उसके पश्चात् कर अपवंचन से सम्बन्धित कोई विनिर्दिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं करा दी जाती है।]

¹ अधिसूचना क्रमांक 12/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 07.03.2018 द्वारा नियम 138, 138क से 138घ प्रतिस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 15/2018—केन्द्रीय कर, दिनांक 23.03.2018 द्वारा सिवाय नियम 138 (7) के सभी नियम दिनांक 01.04.2018 से प्रभावशील किये गये है। पहले ये नियम निम्नलिखित द्वारा संशोधित किये गये

^{1.} अधिसूचना क्रमांक 27/2017-केन्द्रीय कर, दिनांक 30.08.2017।

^{2.} अधिसूचना क्रमांक 3/2018-केन्द्रीय कर दिनांक 23.01.2018

² अधिसूचना क्रमांक 28/2018-केन्द्रीय कर, दिनांक 19.06.2018 द्वारा परंतुक स्पष्टीकरण सहित अंतःस्थापित (प्रभावशील दिनांक 19.06.2018)।